राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांकः प.15(16)(2)रसद / 2015 / 01 दिनांक :- 01.01.2016

उप आवंटन आदेश

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा जारी गत त्रैमास के अनुसार आवंटन को आधार मानते हुए माह **जनवरी 2016 से मार्च 2016** तक के लिए केरोसीन का नगरपरिषद् / पंचायत समिति / थोक विक्रेतावार निम्न प्रकार अस्थाई (Tentative) उप आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम नगरपरिषद् / पंचायत समिति	कुल आवंटित मात्रा KL. में	आवंटन का विवरण	नाम थोक विक्रेता	रोस्टर का विवरण
1.	नगरपरिषद् बाड़मेर	47	47	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
2.	नगरपरिषद् बालोतरा	48	48	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
3.	पं. स. बाड़मेर	194	194	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
4.	पं. स. रामसर	90	90	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
5.	पं. स. शिव	96	96	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
6.	पं. स. गड़रारोड़	96	96	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
7.	पं. स. चौहटन	105	105	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
8.	पं. स. सेड़वा	145	145	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
9.	पं. स. धनाऊ	111	111	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
10.	पं. स. धोरीमना	102	102	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
11.	पं. स. गुड़ामालानी	112	112	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
12.	पं. स. सिणधरी	120	24 36 60	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा बालाजी एजेन्सी, शिव	क्र.सं. 01 से 17 तक क्र.सं. 18 से 46 तक क्र.सं. 47 से 77 तक
13.	पं. स. बायतू	101	101	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
14.	पं. स. गिड़ा	97	97	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
15.	पं. स. बालोतरा	98	98	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
16.	पं. स. पाटोदी	57	57	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
17	पं. स. कल्याणपुर	77	77	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
18.	पं. स. सिवाना	87	87	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
19.	पं. स. समदड़ी	55	55	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
	योग :-	**1838**	**1838 KL**		

शर्तें :-

1. प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता आवंटित मात्रा का तेल कम्पनियों से सम्पूर्ण उठाव कर प्रत्येक माह की 20 तारीख से पूर्व उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति करेंगे।
2. उक्त सभी थोक विक्रेता उनके सम्मुख अंकित जिले की पंचायत समिति / नगरपरिषद् क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी सिद्धान्त से केरोसीन तेल की आवंटनानुसार आपूर्ति करेंगे।
3. वार्डवार / ग्राम पंचायतवार स्थित प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदारों में उनके पास उपलब्ध / विभाजित राशनकार्डों के आधार पर केरोसीन का पंचायत समितिवार रोस्टर संलग्न है। थोक विक्रेताओं द्वारा संलग्न आवंटन के अनुसार वैध दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति की जावेगी। यदि स्थानीय स्तर पर मांग अधिक है या राशनकार्डों की संख्या में विसंगति है या केरोसीन तेल खाली नहीं होने पर केरोसीन तेल बच जाता है या अन्य कोई परिवर्तन / संशोधन करना हो तो इसके लिए इस कार्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किया जावेगा। शेष अवितरित मात्रा थोक विक्रेता अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
4. प्राधिकृत थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार / केरोसीन प्राधिकार पत्रधारी के गोदाम पर केरोसीन खाली करने के बाद **उसके स्टॉक रजिस्टर में मोहर लगा कर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे एवं डीलर के भी हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में करायेगे।**
5. थोक विक्रेता केरोसीन के विक्रय बिल पर प्राधिकार पत्रधारक **उचित मूल्य दुकानदार के स्वयं के हस्ताक्षर एवं बाये हाथ के अंगूठा निशानी लेगा**, अन्य किसी के नहीं व आपूर्ति की दैनिक सूचना इस कार्यालय / संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में प्रेषित की जावेगी।
6. प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानवार रोस्टर में अंकित क्रमानुसार बढते हुए टैंकर संख्यावार केरोसीन की आपूर्ति की जावेगी।

(5)

7\. फिल्ड स्तर पर केरोसीन की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था संबंधी प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/नायब तहसीलदार (कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक) की जवाबदेही होगी एवं किसी प्रकार की अनियमितता के लिए उस क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/नायब तहसीलदार (कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक) का उत्तरदायित्व होगा।

8\. **खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार खुदरा विक्रेता एलपीजी. गैस धारकों को केरोसीन की आपूर्ति नहीं करेंगे।**

9\. जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रेताओं द्वारा 4 लीटर केरोसीन तेल प्रतिमाह दर 17.50 रू. प्रति लीटर से उनके यहां पात्र प्रति पंजिकृत उपभोक्ता को उनके वैध राशनकार्डों पर वितरित किया जावेगा, जिसके लिए कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार रिकार्ड संधारित किया जावेगा। यदि माह में वितरण के पश्चात् मात्रा शेष रहती है तो वह आगामी माह का प्रारम्भिक स्टॉक होगा व चालू माह में उपभोक्ताओं में वितरण किया जावेगा। थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के चालू माह के केरोसीन स्टॉक रजिस्टर में दर्ज माह के प्रारम्भिक स्टॉक की मात्रा को चालू माह के लिए आवंटित मात्रा से कम करते हुए शेष मात्रा की ही आपूर्ति उचित मूल्य दुकानदार को की जावेगी।

10\. प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए केरोसीन तेल की सूचना उसी दिन या आगामी दिवस तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए संबंधित उपखण्ड अधिकारी/नायब तहसीलदार/प्रवर्तन कर्मियों को भी सूचित किया जावेगा।

11\. इस आदेश के साथ उचित मूल्य दुकानदारों की पंचायत समितिवार संलग्न आवंटन सूची में या यह आदेश जारी होने के बाद यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र से त्याग पत्र देता है/निलम्बित/निरस्त हो जाता है तो उनके स्थान पर कार्यालय द्वारा समय-समय पर की गई वैकल्पिक वितरण व्यवस्था वाले डीलरो को ही थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की जावेगी।

12\. इस अस्थायी (टेन्टेटिव) आदेश में थोक विक्रेताओं को आवंटित मात्रा से यदि संबंधित तेल कम्पनी द्वारा कम/अधिक मात्राएं आवंटित की जाती है तो कम आवंटन वाले थोक विक्रेता के क्षेत्र में आपूर्ति से शेष रहे खुदरा विक्रेताओं को अधिक आवंटन प्राप्त होने वाले थोक विक्रेता द्वारा इस कार्यालय से निर्देश प्राप्त करते हुए आपूर्ति की जावेगी। संबंधित थोक विक्रेता समय रहते हुए वांछित सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

13\. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है। अतः जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित नीले केरोसीन तेल के मूल्य में चूंकि भारी राज सहायता राशि निहित होने से इसका वितरण वैध एवं अधिकृत राशनकार्ड धारकों को ही किया जावे।

14\. प्रत्येक थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को आपूर्ति किये गये केरोसीन की अन्तर राशि मद **"1475-00-800-05-00 परिवहन समानीकरण की प्राप्तियां"** के अंतर्गत बैंक में जमा कराते हुए संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से सत्यापन के बाद प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

15\. उक्त आवंटन जिले की वैब साईट barmer.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश **01.01.2016** से प्रभावी होगा।

(राकेश शर्मा)
जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक: प.15(16)(2)रसद/2015/ 09-54 दिनांक :- 01.01.2016

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर/शिव/चौहटन/गुड़ामालानी/बायतु/सिवाना/रामसर/बालोतरा/सेड़वा/सिणधरी/धोरीमना।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाड़मेर/रामसर/शिव/गड़रारोड़/चौहटन/सेड़वा/धनाऊ/धोरीमन्ना/गुड़ामालानी/सिणधरी/बायतु/गिड़ा/बालोतरा/पाटोदी/कल्याणपुर/सिवाना/समदड़ी।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा।
5. जिला सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, बाड़मेर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाड़मेर को समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाने हेतु प्रेषित है।
7. नायब तहसीलदार, शिव/गड़रारोड़/रामसर/चौहटन/सेड़वा/धोरीमना/गुड़ामालानी/सिणधरी/बायतु/गिड़ा/सिवाना/समदड़ी।
8. श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी, बाड़मेर/श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा ।
9. जिलाध्यक्ष, उचित मूल्य दुकान संघ, बाड़मेर।
10. मैसर्स .... केरोसीन थोक विक्रेता .... को पालनार्थ।

जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर